

कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायिक प्रतिष्ठान बलिया में आग से सुरक्षा हेतु विभिन्न स्थानों पर निम्न प्रकार से अग्निशमन यन्त्र स्थापित किये गये हैं । जिनकी रिफिलिंग बैधता अवधि समाप्त हो गयी है । जिन्हे पुनः रिफिलिंग कराया जाना आवश्यक है । अग्निशमन यन्त्र विवरण निम्नवत् है ।

क्र० सं०	नाम उपकरण	क्षमता	संख्या	स्थिति	बैधता अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप आग से सुरक्षा हेतु रिफिल कराया जाना आवश्यक है ।
1	फायर फाईटिंग सीओओटू टाईप	एक्सटिंग्यूसर 4.5 किग्रा	06 अदद	अक्रियाशील	रिफिल किया जाना आवश्यक है ।
2	फायर फाईटिंग एओबीसी टाईप	एक्सटिंग्यूसर 6 किग्रा	04 अदद	अक्रियाशील	रिफिल किया जाना आवश्यक है ।
3	फायर फाईटिंग डीओसीओपी टाईप	एक्सटिंग्यूसर 6 किग्रा	110 अदद	अक्रियाशील	रिफिल किया जाना आवश्यक है ।
4	फायर फाईटिंग सीओओटू टाईप	एक्सटिंग्यूसर 4.5 किग्रा	25 अदद	अक्रियाशील	रिफिल किया जाना आवश्यक है ।
5	फायर फाईटिंग एओबीसी टाईप	एक्सटिंग्यूसर 4 किग्रा	16 अदद	अक्रियाशील	रिफिल किया जाना आवश्यक है ।
	योग	कुल	31 सीओ02 + 130 एबीसी0 कुल 161 नग		

अतः रिफिलिंग हेतु इच्छुक फर्म/प्रतिष्ठान अपना सील बन्द टेण्डर दर दिनांक 22।8।25 तक केन्द्रीय नाजिर में दाखिल कर सकते हैं । टेण्डर माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नाम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । न्यूनतम टेण्डर दर के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय से बजट प्राप्त करके रिफिलिंग की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी । रिफिलिंग के मानक व गुणवत्ता की जाँच आख्या अग्नि शमन विभाग बलिया से लिया जाना आवश्यक है ।

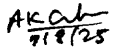


अध्यक्ष, कय समिति/

अपर जिला जज कोर्ट सं० 1 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्न स्थानों पर प्रचार प्रसार किये जाने हेतु चस्पा हेतु ।

- 1 माननीय जनपद न्यायाधीश के नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3 नगरपालिका के नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4 लोक निर्माण विभाग के नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5 जिला पंचायत के नोटिसबोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 6 जनपद न्यायालय बलिया के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।





अध्यक्ष, कय समिति/

अपर जिला जज कोर्ट सं० 1 बलिया ।